

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 638]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2019 — आश्विन 5, शक 1941

गृह (पुलिस) विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 सितम्बर 2019

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-33/गृह-दो/2007. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक एवं छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक. 13 सन् 2007) की धारा 50 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल, आरक्षक (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

## संशोधन

उक्त नियमों में, —

1. नियम 7 में, उप-नियम (6) में, खण्ड (तीन), (चार), (छः) एवं (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(तीन) **शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट)**.- शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट), आरक्षक (जी.डी) पद के सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है, जो कुल 100 अंकों का होगा और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगी:-

(अ) लम्बी कूद	20 अंक
(ब) उँची कूद	20 अंक
(स) गोला फेंक	20 अंक
(द) 100 मीटर दौड़	20 अंक
(इ) 800 मीटर दौड़	20 अंक

प्रत्येक परिणाम के लिये दिये जाने वाले अंकों का विस्तृत विवरण अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट किये गये हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक सामान्य जाति के अभ्यर्थी तथा 50 प्रतिशत अंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को प्राप्त करना अनिवार्य है।

उपरोक्त सभी प्रतिस्पर्धा हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य है। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका तत्काल निराकरण किया जायेगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा सूर्योदय से

सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में कराया जायेगा। रात्रि अथवा कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा नहीं कराई जायेगी।

आरक्षक (चालक) एवं आरक्षक (ट्रेड) हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगी, जिसे 05:40 मिनट में पूर्ण करना होगा एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ होगी, जिसे 03:20 मिनट में पूर्ण करना होगा।

**(चार) लिखित परीक्षा.**— शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट जाति वर्गवार तैयार की जायेगी तथा इस लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो जाये। लिखित परीक्षा कुल 100 अंको की होगी तथा इसकी अवधि 02:00 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जायेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर अथवा शासन द्वारा नियुक्त/अधिकृत अन्य एजेंसी के द्वारा कराया जा सकता है।

आरक्षक (चालक) पद हेतु भारी वाहन का ड्राइविंग लाईसेंस होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, आरक्षक (चालक) को ट्रेड टेस्ट देना होगा, जिसके 25 अंक होंगे। ट्रेड टेस्ट हेतु रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा तीन सदस्यों की उप समिति बनाई जायेगी, जिसमें किसी अन्य इकाई के एमटी शाखा के एक अधिकारी को इस उप समिति में शामिल किया जायेगा। आरक्षक (ट्रेडमैन) हेतु अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड का टेस्ट देना होगा, जिसके 25 अंक होंगे। ट्रेड टेस्ट हेतु रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा तीन सदस्यीय उप समिति का गठन किया जायेगा, इसमें एक सदस्य संबंधित ट्रेड का अनुभवी कर्मचारी होना आवश्यक है। इन दोनों पदों के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना आवश्यक होगा।

**(छः) बोनस अंक - 10 अंक (अधिकतम).**— अभ्यर्थियों को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 05 अंक निर्धारित है :-

(क) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीण्यता (केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, उसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी।)

(ख) एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र धारी/एन.एस.एस.(राष्ट्रीय सेवा योजना) का प्रमाण पत्र।

**(सात) चयन सूची.**— कुल पूर्णांक 200 अंक, शारीरिक दक्षता परीक्षा-100, लिखित परीक्षा-100 एवं बोनस अंक-10 के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, बोनस अंकों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर मेरिट क्रम में सूची बनाई जायेगी। सर्वप्रथम, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिए सभी योग्यता भी पूरी करते हैं। शेष अभ्यर्थी में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की उनके अपने-अपने जातिवर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के लिये पृथक-पृथक सूचियाँ तैयार की जायेंगी। आरक्षक (चालक/ट्रेड) के लिए लिखित परीक्षा - 100, ट्रेड टेस्ट 25 एवं बोनस अंक - 10 के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।

इस सूची के तैयार होने के पश्चात् नगर सैनिक के लिये आरक्षण एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए खण्डवार आरक्षण को प्रभावी करना होगा। यदि उपरोक्त सूचियों में पहले की कुल 25 प्रतिशत नगर सैनिक अभ्यर्थी नहीं हैं तो परीक्षा में शामिल सभी नगर सैनिक की सूची मेरिट क्रम में तैयार की जायेगी तथा मेरिट क्रम में 25 प्रतिशत के मान से, नाम पृथक किए जायेंगे और फिर इनमें से केवल उतने अभ्यर्थियों को पूर्व में संदर्भित अनारक्षित पदों एवं आरक्षित पदों की सूचियों में सम्मिलित किया जायेगा, जितने की 25 प्रतिशत आरक्षण लाभ देने के लिए आवश्यक हो। केवल तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही, नगर सेना कोटे में आरक्षण की पात्रता होगी। इसके प्रतिस्थापना प्रक्रिया में अनारक्षित तथा आरक्षित सूचियों में मेरिट में नीचे क्रम के गैर नगर सैनिक अभ्यर्थी इन सूचियों से स्वतः बाहर हो जायेंगे। भूतपूर्व सैनिकों का 10 प्रतिशत सीधा आरक्षण है किन्तु भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण श्रेणीवार हो जाने से इनकी मेरिट सूची जाति वर्गवार तैयार की जायेगी और 10 प्रतिशत की संख्या की गणना भी जाति वर्गवार ही होगी। प्रतिस्थापना प्रक्रिया भी केवल उसी वर्ग में होगी, जिसमें 10 प्रतिशत की संख्या पूरी नहीं होती है। नगर सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं पाए जाने से कोई भी पद आगामी वर्ष के लिए अग्रेषित नहीं होंगे, बल्कि ऐसे पद अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के लिये पृथक सूचियाँ तैयार की जायेगी किन्तु महिलाओं का आरक्षण, खण्डवार सीधा आरक्षण है तथा योग्य महिलायें उपलब्ध न होने से पद आगामी वर्ष के लिये अग्रेषित नहीं किये जायेंगे, अतः जिस वर्गवार की योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगी, उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से भरा जायेगा।”

2. नियम 9 में –

(क) उप-नियम (3) का लोप किया जाये।

(ख) उप नियम (4) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(क) विज्ञापन प्रकाशित होने की वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस को अनुसूची –दो के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची में कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।”

(ग) उप-नियम (4) में, खण्ड (ड.) का लोप किया जाये।

(घ) उप नियम (4) में, खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(छ) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट प्रदान की जायेगी।”

3. नियम 12 में, उप-नियम (1) एवं (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(1) भर्ती कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय/संबंधित इकाई द्वारा विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित किया जायेगा। भर्ती, जिला मुख्यालयों पर पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही समय पर होगी। कोई विशिष्ट कानून व्यवस्था अथवा अन्य समस्या होने पर, पुलिस मुख्यालय, भर्ती कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर सकेगा।

(2) विज्ञापन जारी होने के दिनोंक को पदों की वास्तविक रिक्तियों की संख्या के आधार पर ही विज्ञापन जारी किया जायेगा। वित्तीय मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा पूरे प्रदेश के सभी जिला पुलिस, रेल पुलिस एवं पुलिस प्रशिक्षण स्कूल का संयुक्त विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। रिक्तियों की सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला कलेक्ट्रेट, तहसील एवं ब्लॉक कार्यालयों के सूचना पटल पर चिपकाये जाने की व्यवस्था की जाये ताकि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचना आसानी से पहुंच सके।”

4. नियम 14 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(1) सीधी भर्ती के लिये, आरक्षक (जी.डी) के पद हेतु अंतिम सूची (मेरिट लिस्ट), शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं बोनस में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। आरक्षक (चालक/ट्रेड) पद के लिए अंतिम सूची लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट एवं बोनस में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। नियुक्तियां पदों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुये गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) से की जायेगी।”

5. अनुसूची-तीन में, कॉलम (5) के पश्चात्, कॉलम (6) एवं (7) के रूप में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाये, अर्थात्:-

अनु. क्र.	मद (आयटम) भूतपूर्व सैनिक	अंक
(1)	(6)	(7)
1-	लम्बी कूद	20
	03 मीटर 65 सेमी से कम	00
	03 मीटर 65 सेमी. तक	7
	03 मीटर 90 सेमी तक	11
	04 मीटर 40 सेमी. तक	14
	04 मीटर 90 सेमी. तक	17
	05 मीटर 40 सेमी. या अधिक	20
2-	उंची कूद	20
	01 मीटर 05 सेमी. से कम	00
	01 मीटर 05 सेमी. तक	7
	01 मीटर 10 सेमी. तक	11
	01 मीटर 15 सेमी. तक	14
	01 मीटर 20 सेमी. तक	17
	01 मीटर 25 सेमी. तक	20
3-	गोला फेंक (वजन 16 पाउण्ड)	20
	05 मीटर से कम	00
	05 मीटर तक	7
	06 मीटर तक	11

	07 मीटर तक	14
	08 मीटर तक	17
	09 मीटर या अधिक	20
4-	100 मीटर दौड़	20
	14 सेकेण्ड या कम	20
	16 सेकेण्ड तक	14
	18 सेकेण्ड तक	7
	18 सेकेण्ड से अधिक	00
5-	दौड़ 800 मीटर	20
	02 मिनट 30 सेकेण्ड तक	20
	03 मिनट तक	14
	03 मिनट 30 सेकेण्ड तक	7
	03 मिनट 30 सेकेण्ड से अधिक	00

टीप:- तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेखित होने पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड एवं महिला उल्लेखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकुंद गजभिये, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ 2-33/गृह-दो/2007. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकुंद गजभिये, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 26th September 2019

#### NOTIFICATION

No. f 2-33/Two-Home/2007 :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and sub-section(1) of section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Police Executive Force, Constable (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2007 namely :-

#### AMENDMENT

In the said rules, -

1. In Rule-7, in sub-rule (6), for clause (iii), (iv), (vi) and (vii), the following shall be substituted, namely:-

**(iii) Physical Efficiency Test-** The Physical Efficiency Test is compulsory for all the candidates of Constable (G.D), which shall be of 100 marks and will include the following competitions :-

- |     |                |          |
|-----|----------------|----------|
| (a) | Long Jump`     | 20 marks |
| (b) | High Jump      | 20 marks |
| (c) | Shot put       | 20 marks |
| (d) | 100 meter race | 20 marks |
| (e) | 800 meter race | 20 marks |

Elaborate details of the marks to be given for each result as is specified in Schedule-III. It shall be mandatory to obtain atleast 60 percent marks for the candidates of General Caste

and 50 percent marks for the candidates of Scheduled Tribes/Scheduled Caste/Other Backward Classes category in physical education test.

Only one chance will be given to the candidates for all the above said events. It is mandatory for the candidates to take part in all the above said events. On being dissatisfied with his exhibit evaluation a candidate may appeal before the Selection Committee, which shall be resolved spontaneously. The decision of Selection Committee shall be final in this context. The Physical Proficiency Test shall be conducted under sufficient light between sunrise and sunset. This test shall not be carried out during night or under artificial light.

Under the physical efficiency test for Constable (Driver) and Constable (Trade), there shall be 1500 meter race for male candidates, which has to be completed in 5:40 minutes and 800 meter race for women candidates, which has to be completed in 3:20 minutes.

**(iv) Written Examination-** Caste category wise Merit List shall be prepared on the basis of the result of Physical Efficiency Test and a maximum of 15 times of the number of posts advertised from the list candidates shall be given opportunity to take part in written examination. All the candidates obtaining equal minimum marks shall be eligible to enter in to the next phase, even though if the total number may exceed than that of 15 times. The written examination shall be of 100 marks and its duration shall be of 02 hours. The objective type questions of General Knowledge, Mental ability, Analytical Ability and Arithmetic shall be asked. The Written Examination may be conducted either by the departmental or by other agency appointed/ authorized by the Government.

For the post of Constable (Driver), heavy vehicle driving license is mandatory. In addition to this, Constable (Driver) has to appear in Trade Test of 25 marks. A three member sub-committee shall be constituted by the Range Inspector General of Police for Trade Test, in which an officer of the MT branch of any other unit shall be included in this sub-committee. The candidates of Constable (Trademen) have to appear in concern Trade Test which shall be 25 marks. A Three member's sub-committee shall be constituted by the Inspector General of Police, Range for Trade Test, out of which one member should be an experienced employee of the concerned trade. The candidates of both posts have to compulsorily appear in written test and Physical Efficiency Test.

**(vi) Bonus Marks- 10 Marks (Maximum) -** Under the heads mentioned below 05 marks are prescribed for specific qualification:-

- (a) Proficiency in sports at National/International Level (Only the players winning the competition of national level shall be eligible, which are conducted directly by All India Federation of that concerned sport event.)
- (b) NCC "C" Certificate holders / NSS (National Service Scheme) certificate.

**(vii) Selection List-** Total 200 Marks. The selection list shall be prepared on the basis of 100 marks of physical efficiency test, 100 marks of written test and 10 marks of bonus. The list in merit order shall be prepared on the basis of sum total of marks obtained in Written Examination, Physical Proficiency Test and Bonus marks. At first, a list of candidates eligible for unreserved posts from the candidates of all categories shall be prepared. The candidates for reserved category (Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes) shall also be included in this list who are entitled on the merit list basis and fulfill all the qualification of unreserved posts. Separate lists shall be prepared for advertised reserved posts from the remaining candidates of Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Classes candidates for their respective caste category. The selection list for Constable (Driver/Trademan) shall be prepared on the basis of 100 marks of written test, 25 marks of trade test and 10 marks of bonus.

After the preparation of this list reservation for Home Guards and Block-wise reservation for ex-serviceman have to be made effective. If Twenty Five percent home guard candidates are not there in the said list originally, then the list of all the home guards appeared in the examination will be prepared in merit order and the name shall be separated at the rate of Twenty Five percent in merit order and then only those candidates out of these shall be included in the lists of unreserved posts and reserved posts mentioned earlier, which are necessary to extend advantage of Twenty Five percent reservation. The Home Guards having rendered three years of service only will be eligible for reservation in Home Guard Quota. Under this replacement procedure, non-Home Guard candidates belonging to lower sequence in merit of unreserved and reserved lists shall be discarded automatically from these lists. There is 10 percent direct reservation for ex-servicemen but due to the category wise reservation of ex-servicemen, their merit list shall be prepared caste-category wise and the calculation of 10 percent shall also be caste category wise. The replacement procedure shall only apply in those categories where 10 percent number is not fulfilled. In case of non-availability of eligible candidates

in Home Guard and Ex-serviceman category no post shall be carry forwarded for the next year but these posts will be filled by other available candidates.

A separate list shall be prepared for the posts reserved for women, but since the reservation of women is block wise direct reservation and the posts will not be carry forwarded for next year in case of not availability of eligible women, hence due to non availability of eligible women candidates in any category, those posts will be filled by male candidates of that same category.

2. In Rule-9, -

- (a) sub-rule (3) shall be omitted.
- (b) in sub-rule (4), for clause (a), the following shall be substituted, namely:-  
 "(a) He has attained the age as specified in column (5) of Schedule-II on first day of January in which advertisement is published and not attained the age specified in Column (6) of the said schedule."
- (c) in sub-rule (4), clause (e) shall be omitted.
- (d) in sub-rule (4), for clause (g) the following shall be substituted, namely:-  
 "(g) Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadthur Award and Maharaja Praveerchand Bhanjadev Award winning sportsmen shall be given a relaxation of up to 05 years in the maximum age limit"

3. In Rule 12, for sub-rule (1) and (2), the following shall be substituted, namely:-

- "(1) Recruitment program will be broadcasted through the advertisement by Police Headquarter/Concerned unit. The recruitment will be carried out at District Headquarters in the entire State simultaneously at the same time. In case of any specific law and order or any other problems, Police Headquarter can make necessary amendment in the recruitment program.
- (2) The advertisement will be issued on the basis of number of actual vacancies of the posts on the date of issuing advertisement. Keeping inview the financial economy, a combined advertisement may be issued by Police Headquarters for all the District Police, Railway Police and Police Training School of the entire State. Arrangements should be made to affix the information regarding vacancies on the Notice Board of Superintendent of Police Office, District Collectorate, Tehsil and Block Office, so that the information can reach easily to distant rural areas".

4. In Rule 14, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

- (1) "For the direct recruitment, the final list (merit list) for the post of the Constable (GD) shall be prepared on the basis of total marks obtained in the Physical Efficiency Test, Written Examination and Bonus Marks. For the post of Constable (Driver/Trademen), the final list shall be prepared on the basis of total marks obtained in the Written Examination, Trade Test and Bonus Marks. The appointments shall be made from the merit list, subject to the availability of the posts."

5. In Schedule-III, after column (5), following enteries shall be added as column (6) and (7), namely:-

Sl.No.	Item (Ex-Serviceman)	Marks
(1)	(6)	(7)
1	LONG JUMP	20
	Less than 03 mtr. 65 cm	00
	Upto 03 mtr. 65 cm	07
	Upto 03 mtr. 90 cm	11
	Upto 04 mtr. 40 cm	14
	Upto 04 mtr. 90 cm	17
	05 mtr. 40 cm or more	20
2	HIGH JUMP	20
	Less than 01 mtr. 05 cm	00
	Upto 01 mtr. 05 cm	07
	Upto 01 mtr. 10 cm	11
	Upto 01 mtr. 15 cm	14
	Upto 01 mtr. 20 cm	17

	Upto 01 mtr. 25 cm	20
3	SHOT PUT (Weight 16 Lbs.)	20
	Less than 05 meter	00
	Upto 05 mtr.	07
	Upto 06 mtr.	11
	Upto 07 mtr.	14
	Upto 08 mtr.	17
	09 meter or more	20
	4	100 Meter Race
14 second or less		20
Upto 16 second		14
Upto 18 second		07
More than 18 seconds		00
5		800 Meter Race
	Upto 02 minute 30 second	20
	Upto 03 minute	14
	Upto 03 minute 30 second	07
	More than 03 minute 30 seconds	00

Note:- As per the certificate issued to third gender, the criteria set for male candidate shall be applicable, when male is mentioned in the certificate and the criteria for female candidate will be applicable when female is mentioned in the certificate.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
MUKUND GAJBHIYE, Deputy Secretary.